महत्वपूर्ण एवं खास

एकलव्य विद्यालय चयन परीक्षाः मेरिट सूची के संबंध में 22 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़ । एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 6 वीं चयन परीक्षा सत्र 2021-22 पूर्ण कर ली गई है एवं छात्रों की मेरिट सूची जारी करने से पूर्व दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। दावा-आपत्ति 22 जुलाई 2021 शाम 5 बजे से पूर्व सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा रायगढ़ में जमा कर सकते है। परीक्षार्थियों की मेरिट सूची बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुडपार खरसिया, संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बायसी धरमजयगढ़ एवं जिले की वेबसाईट www.raigarh.gov.in में देख सकते है।

118 धान उपार्जन केन्द्रों में हुआ शत-प्रतिशत धान का उठाव

रायगढ़ । जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के संबंध में जिला खाद्य अधिकारी जी.पी.राठिया से मिली जानकारी अनुसार जिले के 110 सेवा सहकारी समितियों के 134 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 533510.04 मे.टन धान की खरीदी की गई है जिसका निराकरण जिले के पंजीकृत राईस मिलरों को डीओ जारी कर कस्टम मिलिंग कराकर चावल जमा का कार्य किया जा रहा है एवं जिला विपणन कार्यालय से परिवहनकर्ताओं को टीओ जारी कर संग्रहण केन्द्रों में संग्रहित किया जा रहा है। वर्तमान में 134 धान उपार्जन केन्द्रों में से 118 धान उपार्जन केन्द्रों का शत-प्रतिशत धान उठाव कर लिया गया है तथा 15 धान उपार्जन केन्द्रों में कुल 1304 मे.टन धान निराकरण हेतु शेष है। जिसका जिला स्तरीय दल गठन कर समितिवार निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सेवा सहकारी समिति मर्यादित खड़गांव 180 विकासखण्ड धरमजयगढ़ का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है तथा शेष 15 समितियों के धान का निराकरण की कार्यवाही जारी है। जिन समितियों के द्वारा धान का निराकरण कार्य पूर्ण नहीं किया जायेगा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

जिले में 315.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़ । चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 19 जुलाई तक 315.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 11 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 311.3 मिली मीटर, पुसौर में 413.7, खरसिया में 312.7, सारंगढ़ में 405.7, बरमकेला में 236, घरघोड़ा में 289.2, तमनार में 287.2, लैलूंगा में 257.6 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 322.8 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

पंचायत सचिव खगेश्वर प्रसाद सिदार निलंबित

रायगढ़ । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.रवि मित्तल ने जनपद पंचायत लैलूंगा ग्राम पंचायत घियारमुड़ा के पंचायत सचिव खगेश्वर प्रसाद सिदार को कोविड-19 जैसे विशेष गंभीर परिस्थितियों में बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, ग्राम पंचायत के कार्यों में रूचि नहीं लेने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

दो साल से फरार धोखाधड़ी का आरोपी शुभमपाल गौरेला से हुआ गिरफ्तार

» आरोपी ने फायनेंस कंपनी के लाखो रुपए को अपने रिस्तेदारों व परिचितों के अकाउंट में किया था ट्रांसफर

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को धोखाधड़ी के फरार आरोपियों की पतासाजी एवं शीघ्र गिरफ्तारी के लिये निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर धोखाधड़ी प्रकरणों के फरार आरोपियों की पतासाजी के क्रम में साइबर सेल रायगढ़ से थाना खरसिया के अप.क्र. 447/2019 धारा 420 भादवि के आरोपी शुभम पाल सतनामी के गौरला में छिपे होने की जानकारी मिलने पर चौकी खरसिया से चौकी प्रभारी नंदकिशोर गौतम व हमराह स्टाफ गौरेला जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया है। आरोपी द्वारा फायनेंस कम्पनी के ग्राहाकों के 5,44,000 रूपये अपने रिस्तेदार, परिचितों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। चौकी खरसिया पुलिस ऐसे 20 बैंक खातों का पता लगाई है, जिसे सीज करने की कार्रवाई करा रही है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 24/10/2019 को भारत फाईनेन्शियल इन्कुलसन लिमिटेड कंपनी शाखा हमालपारा खरसिया के ब्रांच मैनेजर कुशल यादव (उम्र 25 वर्ष) द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि शाखा में इसके पूर्व ब्रांच मैनेजर सुरेन्द्र साहू तथा फील्ड ऑफिसर के पद पर शुभम पाल कार्यरत थे, जिनके कार्यकाल के दौरान शुभम पाल एक-एक सदस्य जोड़कर 20 सदस्य बनाकर उन सदस्यों का आधार कार्ड , परिचय पत्र , बैंक खाता प्राप्त कर सभी का छायाप्रति लेकर छायाप्रति में कूट रचना कर कम्पनी में जमा किया। जिसके बाद शातिर आरोपी द्वारा कंपनी के ब्रांच मैनेजर को धोखा में रखकर ग्राहकों के नाम पता बदल कर अपने रिश्तेदार एवं जान पहचान के लोगों के नाम से बैंक खाता नंबर देकर कुल रकम 5,44,780/- रू. का लोन स्वीकृति कराया। उनके खाते में रूपए ट्रांसफर होने के बाद शुभमपाल अवकाश पर चला गया। तब ब्रांच मैनेजर नये फील्ड ऑफिसर को कलेक्शन के लिये भेजे तो धोखाधड़ी की जानकारी हुई। आवेदन पर आरोपी शुभम पाल सतनामी के विरूद्ध अप.क्र. 447/2019 धारा 420 भादवि कायम किया गया। आरोपी को उस पर अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी लगने पर अपना निवास बदल कर लुकछिप कर रहा रहा था। चौकी प्रभारी खरसिया आरोपी की पतासाजी के लिये मुखबिर लगाकर लगातार आरोपी से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा सभी थानों के लंबित धोखाधड़ी एवं गंभीर मामलों के फरार आरोपियों की पतासाजी के लिये साइबर सेल की टीम को निर्देशित किया गया। साइबर सेल द्वारा फरार आरोपी के गौरेला में छिपे होने की जानकारी चौकी प्रभारी खरसिया को दिये जाने पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम, सहायक उप निरीक्षक लखन यादव, आरक्षक किर्ती सिदार, साविल चन्द्रा गौरेला जाकर आरोपी पतासाजी कर हिरासत में लेकर आया गया चौकी लाया गया। आरोपी द्वासरा अपने रिस्तेदार व परिचितों के अकांउट में रूपयों को ट्रांसफर करना कबूल किया गया है। चौकी प्रभारी ऐसे 20 खातों का पता लगाई है,जिन्हें सीज की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

पूंजीपथरा से उर्दना के बीच 21.60 किमी. सड़क के पेचवर्क में बीते पांच साल में खर्च हुए हैं 3 करोड़ 51 लाख

रायगढ़ । पूंजीपथरा से उर्दना के बीच 15 किमी सड़क के पेचवर्क में 5 साल में 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने संबंधी खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीडब्लूडी विभाग रायगढ़ के ईई आर.के.खाम्बरा ने बताया कि पूंजीपथरा से उर्दना के बीच 21.60 कि.मी.सड़क के पेचवर्क में बीते पांच साल में 3 करोड़ 51 लाख 45 हजार रुपये की राशि खर्च हुई है। उन्होंने बताया कि अम्बिकापुर-रायगढ़ राज्य मार्ग क्रमांक 01 के उक्त हिस्से 172.2 से 193.6 तक की कुल लंबाई 21.60 कि.मी. है। जिसका अगस्त 2013 में बीओटी (बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर) का करार समाप्त होने के पश्चात से वर्ष 2020 तक किसी भी प्रकार का डामर नवीनीकरण का कार्य उक्त मार्ग में नही कराया गया है। वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 10.20 किमी मार्ग का नवीनीकरण कार्य कराया गया है, जिसके लिए 2 करोड़ 21 लाख 09 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं पिछले पांच वर्षों में पेच रिपेयर कार्य कराकर मार्ग को आवागमन योग्य बनाया गया है। जिसमें वर्ष 2017-18 में 1 करोड़ 20 लाख 44 हजार, जिसमें वर्ष 2018-19 में 1 करोड़ 14 लाख 02 हजार, वर्ष 2019-20 में कोई राशि खर्च नही, जिसमें वर्ष 2020-21 में 41 लाख 83 हजार और जिसमें वर्ष 2021-22 में 75 लाख 16 हजार रुपये सहित कुल 3 करोड़ 51 लाख 45 हजार रुपये की राशि पिछले पांच वर्षों में उक्त मार्ग के पेच वर्क में खर्च किया गया है।

लूटपाट व मारपीट के आरोप में आदतन बदमाश सलीम गिरफ्तार

» लैलूंगा पूलिस ने आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने दी थी हिदायत

रायगढ़। लैलूंगा पुलिस ग्राम झगरपुर निवासी सोमनाथ प्रधान (23 साल) के साथ थानाक्षेत्र के निगरानी बदमाश सलीम खान द्वारा लूटपाट, मारपीट के रिपोर्ट पर आरोपी को लूट की धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार पिछले दिनों ग्राम झगरपुर थाना लैलूंगा निवासी सोमनाथ प्रधान पिता जवाहरलाल प्रधान उम्र 23 वर्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर शिकायत दिया कि गांव के सलीम खान द्वारा गांव के रथयात्रा के दिन

दिनांक 16/07/2021 को शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर जेब में रखे 750 रूपये को लूटकर मारपीट किया और लूटपाट की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दिया है। शिकायत के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक एलपी पटेल को शिकायतकर्ता के रिपोर्ट पर वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश दिए। थाना प्रभारी लैलूंगा शिकायतकर्ता/पीड़ित सोमनाथ प्रधान के रिपोर्ट पर आरोपी सलीम खान के विरूद्ध अपराध क्रमांक 202/2021 धारा 394, 506, 323 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जिले में शांति व्यवस्था के लिये गत दिनों सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत निगरानी, गुंडा बदमाशों को थाना प्रभारियों द्वारा अपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। इसी तारतम्य में सलीम खान को भी थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा सचेत किये थे कि दबी जुबान से लोगों की शिकायतें सुनने में मिल रही है, आपराधिक गतिविधियों से दूर रहें अन्यथा शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी। बादमाश की रिपोर्ट आने पर तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक एल.पी. पटेल हमराह सहायक उपनिरीक्षक विजयगोपाल, प्रधान आरक्षक जयशरण चंद्रा, आरक्षक मयाराम राठिया, पुष्पेन्द्र मराठा, शिव नायक के साथ ग्राम झगरपुर पहुंचे जहां आरोपी सलीम खान को हिरासत में लेकर थाना लाये। आरोपी सलीम खान से प्रार्थी द्वारा लूट की रकम 750 रुपए एवं आरोपी का मोबाइल की जब्ती की गई है। आरोपी को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

50 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, शराब बनाने का बर्तन जब्त

» महानदी के टापू में अवैध शराब बनाने की सूचना पर मछुवारे के भेष में रेड करने पहुंचे पुलिस

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा सीमावर्ती प्रांत ओडिसा से मादक पदार्थ गांजा एवं अवैध शराब के परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश ओडिसा से सटे थानाक्षेत्र के प्रभारियों को दिया गया है। दिये गये निर्देशों पर थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक डीके मार्कण्डेय द्वारा अवैध गांजा व शराब पर कार्रवाई के लिये क्षेत्र में मुखबिर तैनात कर रखा गया है। दिनांक 18/07/2021 को थाना प्रभारी के मुखबिर द्वारा थाना सरिया क्षेत्र अन्तर्गत महानदी के टापू में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने की सूचना दिया गया। सूचना पर कार्रवाई के लिये सरिया थाने से सहायक उप निरीक्षक माधवराम साहू, प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू, आरक्षक सत्यम मंडलोई, मोहन लाल गुप्ता, गोपाल डनसेना, दिलीप कुमार साह मछुवारे के भेष में नाव लेकर रेड कार्रवाई करने पहुंचे। ग्राम पिहरा के महानदी के टापू में पिहरा का नंदराम निषाद मिला, जहां वह अवैध बिक्री के लिये महुआ शराब तैयार कर 50 लीटर वाली ड्रम को बालू के अंदर छिपा कर रखा हुआ था, जिसे आरोपी के निशादेही पर जप्त किया गया मौक से पुलिस टीम द्वारा पंचनामा तैयार कर 50 लीटर महुआ शराब (कीमती 10,000 रूपये) के साथ शराब बनाने के पात्र, तथा खाली प्लास्टिक के ड्रम को जप्ती कर थाना लाया गया। आरोपी नंदराम निषाद पिता शिवलाल निषाद उम्र 48 वर्ष साकिन पिहरा थाना सरिया जिला रायगढ पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

घर घुसकर महिला से छेड़खानी, आरोपी को गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 18.07.2021 के रात्रि छेड़खानी की पीड़ित महिला पुलिस चौकी खरसिया आकर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नंदकिशोर गौतम को बताई कि दिनांक 18.07.2021 के रात्रि करीब 07:00 बजे चंदन तालबपार खरसिया में रहने वाला विजय यादव ऊर्फ छोटू कुधरिया घर आया और शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा, पैसा नहीं देने पर बेईज्जती करने की नियत से पहने कपड़े खींचने लगा और अश्लील बातें कहने लगा। उसी समय घर के लोग आये तो विजय घर से भाग गया। पीडित महिला की रिपोर्ट महिला विवेचक द्वारा दर्ज किया गया। चौकी प्रभारी उनि नंद किशोर गौतम रात में ही सहायक उप निरीक्षक लखन यादव, आरक्षक किर्ती सिदार, साविल चन्द्रा के साथ आरोपी की पतासाजी कर आरोपी विजय यादव ऊर्फ छोटू कुधरिया पिता भुरू यादव उम्र 20 वर्ष निवासी चंदनतालाबपार खरसिया को हिरासत में लेकर चौकी लाये। आरोपी को आज दिनांक 19/07/2021 को छेड़खानी के दर्ज अप.क्र. 439/2021 धारा 354, 354-क, 456 भादवि में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

हाई स्कूल सुपा में ऑनलाईन व ऑफलाइन अध्यापन में लापरवाही

» प्राचार्य को शो-काज नोटिस जारी

रायगढ़ । जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य ने विकासखण्ड पुसौर शास.हाईस्कूल सूपा के शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षा अध्यापन कार्य न करने के संबंध में वहां के प्राचार्य को स्पष्टीकरण जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों के प्राचार्यो को प्रतिदिन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के निर्देश दिए गए है। माह जुलाई 2021 के वेतन आहरण के लिये प्रस्तुत उपस्थिति पत्रक में पाया गया है कि हाईस्कूल सूपा में केवल एक ही शिक्षक ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया है, साथ ही अधीनस्थ व्याख्याताओं द्वारा ऑफलाइन कक्षायें तो ली गई है लेकिन वो नगण्य है। जबकि ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन लिये जाने के निर्देश है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पर शास.हाईस्कूल सूपा के प्राचार्य को उनके विद्यालय के सभी शिक्षकों, व्याख्याताओं का स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि स्पष्टीकरण समयावधि में समाधान कारक जवाब न मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित शिक्षकों, व्याख्याताओं की होगी।

डोंगरीपाली पुलिस ने 20 व भूपदेवपुर ने 10 लीटर महुआ शराब पकड़ा

» अवैध शराब परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार, बाइक भी जब्त

रायगढ़। दिनांक 18/07/21 को डोंगरीपाली एवं भूपदेवपुर पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब पर कार्रवाई करते हुये आरोपियों से क्रमशः 20 एवं 10 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। जानकारी के अनुसार दिनांक 18/07/2021 को डोंगरीपाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर मिशन चौक विष्णुपाली रास्ता में आरोपी सुदामा निषाद पिता धीवर निषाद उम्र 32 वर्ष सा0 झिकीपाली थाना डोंगरीपाली को हिरो एचएफ डिलक्स के पीछे एक सफेद बोरी के अंदर 10-10 लीटर वाली जरिकेन में 20 लीटर महुआ शराब कीमती ?2,000/- का लादकर लाते हुये पकड़े। आरोपी द्वारा ओडिशा से खरीद कर अपने घर झिकीपाली अवैध रूप से बिक्री के लिये लेकर जाना बताया है। थाना डोंगरीपाली के प्रधान आरक्षक हीरालाल तिवारी हमराह आरक्षक गजानंद पटेल के साथ आरोपी को मय शराब एवं बाइक के थाना लेकर आये आरोपी पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

दिनांक 19/07/2021 को भूपदेवपुर थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम साहू को मिली मुखबीर सूचना पर थाना से सहायक उप निरीक्षक देवप्रसाद चौहान, आरक्षक मुरली मनोहर पटेल एवं स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर ग्राम भूपदेवपुर लोहरापारा निवासी भानु संवरा पिता टेंगनु संवरा उम्र 59 वर्ष को अवैध महुआ शराब बिक्री करने के लिये परिवहन करते हुए कुशवाबहरी बाजार के पास पकड़े। आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक बोरी के अंदर प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर महुआ शराब कीमती 1,000 रुपए का जप्त किया गया है। आरोपी के विरूध्द थाना भूपदेवपुर में अपराध क्रमांक 150/21 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

राष्ट्रीय फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमः महापौर एवं कलेक्टर ने दवा सेवन कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ

रायगढ़ । राष्ट्रीय फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत फाईलेरिया रोग (हाथी पॉव) से बचने के लिए डीईसी एवं कृमिनाशक ऐलबेंडाजोल दवा का सेवन कर महापौर श्रीमती जानकी काटजू ने रामभांठा स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्टर भीम सिंह ने भी दवा का सेवन किया। उन्होंने जिले के समस्त लोगों से हाथी पाव जैसे गंभीर बीमारी से सुरक्षित रहने के लिये सामूहिक दवा सेवन का अवश्य लाभ लेने की अपील की। उन्होंने बच्चों को भी कृमि नाशक दवा अनिवार्य रूप से देने के लिये कहा। इस अवसर पर रामभांठा स्वास्थ्य केन्द्र में पार्षद इशकृपा तिर्की, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी, जिला मलेरिया

अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी, डॉ.योगेश पटेल, डॉ.काकोली पटनायक, सीपीएम डॉ.राकेश वर्मा सहित जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष रूप से मौजूद थे।

सीएमएचओ डॉ. एसएन केशरी ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 19 से 24 जुलाई तक सामूहिक दवा सेवन एवं कृमि मुक्ति दिवस गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत आज 19 जुलाई को (प्रथम दिवस) प्रति आंगनबाड़ी, पी.एच.सी., सी.एच.सी. एवं मेडिकल कॉलेज में बूथ आयोजन किया गया। 20 से 22 जुलाई तक समुदाय स्तर पर गृह भेंट देकर दवा सेवन कराया जाएगा। 24 जुलाई तक मॉप-अप राउंड के तहत दवा सेवन गतिविधि डाट्स पद्धति से किया जाएगा। जिसमें 2 वर्ष से अधिक सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को उम्रवार दवा डी.ई.सी एवं एलबेन्डाजोल की दवा खिलाई जानी है तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अन्तर्गत 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के शिशु एवं किशोर एवं किशोरियों को सामूहिक दवा सेवन (गर्भवती, अति गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर) कराया जाएगा।

जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 85 प्रतिशत जनसंख्या को फाईलेरिया दवा डीईसी एवं एलेबेन्डाजोल खिलाया जाना है एवं शेष 15 प्रतिशत आबादी जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं अति वृहद व्यक्ति एवं गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों को दवा सेवन वर्जित है। लक्षित समूह को आयु वर्ग के अनुसार दवा सेवन किया जाना है। जिसमें 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों को ऐलन्बेन्डाजोल की 400 मि.ग्रा.की गोली की आधी गोली 200 मि.ग्रा.पीसकर खिलाना है। इसी तरह 2 से 5 वर्ष तक बच्चों को डीईसी की एक गोली एवं ऐलबेन्डाजोल की भी एक गोली। 6 से 14 वर्ष डीईसी-2 गोली अर्थात 200 मिली ग्राम, 15 से 19 वर्ष को डीईसी-3 गोली एवं ऐलबेन्डाजोल की एक गोली एवं 19 वर्ष से अधिक को डीईसी-3 गोली एवं ऐलबेन्डाजोल की एक गोली का सेवन करना है। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष रूप से उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480